न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **58/16 (वाद)**

GCMS No. : 2016/00337

1. श्रीमती अम्बाबाई बेवा स्व. जगनाथ सुथार निवासी गाडवा तह. मावली। **मृतक के बजाय :–**

1/1 श्री रामनारायण पिता जगनाथ सुथार निवासी गाडवा तह. मावली।

1/2 श्रीमती भंवरीबाई पिता जगनाथ पत्नी भुरी लाल सुथार हाल ओरडी तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती प्रेमलता बेवा स्व. लक्ष्मीलाल सुथार निवासी गाडवा तह. मावली।
2. श्रीमती सीताबाई पिता गोवर्धनलाल सुथार निवासी उपली ओडन तह. नाथद्वारा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार मावली, जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कन्हैयालाल डांगी, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 02.11.2020

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गाडवा के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 116, 120, 121, 141, 144, 150, 226, 228, 229 किता 9 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, परिशिष्ट ख के आराजी नम्बर 48, 83, 117, 122, 138, 139, 140, 814/48 किता 8 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 115 रकबा 2 बिस्वा आ.चा., परिशिष्ट घ में वर्णित आराजी नम्बर 114 रकबा 2 बिस्वा आ.चा. स्थित हैं। इसी तरह मौजा तुलसीदास जी की सराय के परिशिष्ट च में वर्णित आराजी नम्बर 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 191, 192, 193, 194 किता 16 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, परिशिष्ट छ में वर्णित आराजी नम्बर 123 रकबा 7 बिस्वा आ.चा. स्थित हैं।
2. यह कि लक्ष्मीलाल पिता जगन्नाथ सुथार का उक्त परिशिष्ट क में अंकित आराजीयात में 1/4 हिस्सा, परिशिष्ट ख में अंकित आराजीयात में 1/8 हिस्सा, परिशिष्ट ग में अंकित आराजी में 1/8 हिस्सा, परिशिष्ट घ में अंकित

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.21 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

आराजी में 3/48 हिस्सा, परिशिष्ट च में अंकित आराजीयात में 1/4 हिस्सा तथा परिशिष्ट छ में अंकित आराजी में 1/16 हिस्सा होकर इसी हिस्से अनुसार लक्ष्मीलाल जी काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आये है। परिशिष्ट क, ख में परिशिष्ट ग, परिशिष्ट घ में अंकित आराजीयात मौरूसी सम्पति है जो लक्ष्मीलाल जी के पिता जगन्नाथ जी को मिली है तथा जगन्नाथ जी को उनके पिता मोडा जी से मिली हैं।

3. यह कि उक्त लक्ष्मीलाल जी की मृत्यु तारीख 03.11.2015 को निर्वसीयती हो गयी है लक्ष्मीलाल जी के कोई सन्तान नहीं हैं। लक्ष्मीलाल जी के वारिसान में लक्ष्मीलाल जी की माता वादीया व लक्ष्मीलाल जी की शादी शुदा पत्नी प्रतिवादी नम्बर 1 प्रेमलता है इसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं हैं। प्रतिवादी नम्बर 2 सीताबाई लक्ष्मीलाल जी की शादी शुदा पत्नी नहीं है बल्कि प्रतिवादी नम्बर 1 की बिना स्वीकृति के लक्ष्मीलाल जी के साथ कुछ समय से रखैल के रूप में रही है जिसका लक्ष्मीलाल जी की जायदाद में कोई हक व अधिकार नहीं हैं।
4. यह कि उक्त लक्ष्मीलाल जी ने अपने उक्त आराजीयात को अपने जीवनकाल में किसी को विक्रय हस्तान्तरण नहीं की है। लक्ष्मीलाल जी अपनी मृत्यु के पूर्व 1 वर्ष से भी अधिक समय से बीमार रहे है तथा उन्हे अच्छे बुरे का भान नहीं था न वे अपना भला बुरा सोचने की क्षमता रखते थे तथा काफी समय से लकवे में थे तथा उक्त आराजीयात मौरूसी होने से भी लक्ष्मीलाल जी को उक्त आराजीयात को हस्तान्तरण आदि करने का कोई अधिकार नहीं था। यदि प्रतिवादी अपने पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेज बताते है तो कुटरचित व बनावटी है व बिना अधिकार के हैं। तथा मुझ वादीयां के विरूद्व बेअसर व शुन्य हैं।
5. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में लक्ष्मीलाल जी का जो हक व अधिकार था वो लक्ष्मीलाल जी की मृत्यु बाद वादीयां व प्रतिवादी नम्बर 1 में निहीत हो गया है व लक्ष्मीलाल की मृत्यु के बाद लक्ष्मीलाल जी के हिस्से पर वादियां व प्रतिवादी नम्बर 1 बराबर हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रही है यानि उक्त परिशिष्ट क में अंकित आराजीयात में वादीयां का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/8 हिस्सा, परिशिष्ट ख में अंकित आराजीयात में वादीयां का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/16 हिस्सा, परिशिष्ट ग में अंकित आराजीयात में वादीयां का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/16 हिस्सा, परिशिष्ट घ में अंकित आराजी में वादीयां का 3/96 हिस्सा प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.21 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 1 का 3/96 हिस्सा, परिशिष्ट च में अंकित आराजीयात में वादीयां का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/8 हिस्सा तथा परिशिष्ट छ में अंकित आराजी में वादीयां का 1/32 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/32 हिस्सा होकर इसी हिस्से अनुसार वादीयां प्रतिवादी नम्बर 1 तथा शेष हिस्से के खातेदार संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं।

6. यह कि उक्त आराजीयात वादीया, प्रतिवादी नम्बर 1 व अन्य सहखातेदारो के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य है तथा अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है बिना बंटवारा के किसी भी सह खातेदार को कोई भाग विशेष हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है न निर्माण कार्य करने का अधिकार हैं।

7. यह कि वादीयां को ऐसी जानकारी मिली है कि प्रतिवादीगण पटवारी हल्का से मिलकर उक्त आराजीयात को अपने नाम दर्ज करा विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा है व वादीयां द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा है तथा वादीयां द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा है तथा वादीयां को जबरन बैदखल कर देगे जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने को कोई अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी नम्बर 2 तारीख 11.02.2016 को अपने साथ असामाजिक तत्वों को साथ लेकर आयी व जबरन कब्जा करना चाहा जिस पर वादीयां ने कहा कि लक्ष्मीलाल जी के आधे हिस्से पर मेरा कब्जा है मैं कब्जा नहीं छोडुंगी तो प्रतिवादीगण ने वादीयां को धमकी दी कि वादीयां को जबरन बेदखल कर देगे व उक्त आराजी हम अपने नाम दर्ज करा अन्य को विक्रय हस्तान्तरण कर देगे ऐसी अवस्था में वादीयां को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना व प्रतिवादीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी करा पाबंद कराना आवश्यक हो गया हैं। वरना प्रतिवादीगण वादीयां को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल कर देगे व उक्त आराजीयात को अन्य को हस्तान्तरण कर देगे। जिससे वादीयां को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकती।

8. यह कि वाद कारण तारीख 11.02.2016 को पैदा हुआ जबकि प्रतिवादीगण ने वादीयां को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल करने व अपने नाम दर्ज करा अन्य को विक्रय हस्तान्तरण करने की धमकी दी।

9. अतः प्रार्थना है कि वादीयां के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय है कि डिक्री प्रदान करायी जावे कि वादीयां को वाद में अंकित आराजीयात का हिस्से

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.21 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार खातेदार घोषित फरमाया जावे तथा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित कराया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्व इस स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वादीयां को वाद में अंकित आराजीयात का हिस्से अनुसार उपयोग–उपभोग करने में किसी प्रकार का कोई विघ्न पैदा नहीं करे तथा शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे तथा वादीयां को जबरन बैदखल नहीं करे और न अन्य को विक्रय हस्तान्तरण करे न इस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में उभय पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का पेश कर आपसी राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया। राजीनामा तस्दीक किया गया। उभय पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। वादग्रस्त भूमि स्व. श्री लक्ष्मीलाल के नाम पर दर्ज हैं। लक्ष्मीलाल की मृत्यु हो चुकी हैं। लक्ष्मीलाल लाऔलाद फौत होना बताया हैं। वादीयां अम्बाबाई लक्ष्मीलाल की माता हैं। प्रतिवादी सं. 1 व 2 लक्ष्मीलाल की पत्नियां होना बताया हैं। लक्ष्मीलाल द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में दिनांक 27.07.2015 को रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की हैं। लक्ष्मीलाल की मृत्यु हो जाने से वादग्रस्त भूमि पैतृक एवं स्वअर्जित भूमि होने से पक्षकारान द्वारा आपसी राजीनामा कर लिया हैं, जिसमें वादीयां अम्बाबाई की मृत्यु हो जाने से उसके वारिस वादी सं. 1/1 रामनारायण, 1/2 भंवरीबाई एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का पेश कर आपसी राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

12. आपसी राजीनामा अनुसार वादी सं. 1/1 रामनारायण द्वारा वादी सं. 1/2 भंवरीबाई एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रेमलता के साथ समाईश हो जाने से वादग्रस्त भूमि में भंवरीबाई व प्रतिवादी सं. 1 प्रेमलता वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहकर पैतृक भूमि परिशिष्ट क व ख में स्व. लक्ष्मीलाल की सम्पूर्ण भूमि को वादी सं. 1/1 श्री रामनारायण के हिस्से रखने एवं परिशिष्ट च व छ में वर्णित स्व. लक्ष्मीलाल की स्वअर्जित सम्पति को प्रतिवादी सं. 2 सीताबाई के

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.21 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज करने बाबत् आपसी राजीनामा पेश किया हैं। उक्त राजीनामा तस्दीक किया जा चुका हैं। अतः आपसी राजीनामा अनुसार पक्षकारान वाद को डिक्री कराने पर सहमत होने से वादीगण का वाद आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता हैं।

:: **आदेश** ::

परिणामस्वरूप वाद वादीगण आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा गाडवा पटवार हल्का मेडता की आराजी नम्बर 116, 120, 121, 141, 144, 150, 226, 228, 229 किता 9 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि एवं आराजी नम्बर 48, 83, 117, 122, 138, 139, 140, 814/48 किता 8 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि को खातेदार स्व. लक्ष्मीलाल के बजाय वादी सं. 1/1 रामनारायण एवं परिशिष्ट च में वर्णित मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 167 से 178, 191 से 194 किता 16 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा एवं परिशिष्ट छ में वर्णित आराजी नम्बर 123 रकबा 7 बिस्वा (आ.चा.) को खातेदार स्व. लक्ष्मीलाल के बजाय प्रतिवादी सं. 2 सीताबाई को खातेदार काश्तकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.21 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती अम्बाबाई बेवा स्व. जगनाथ सुथार निवासी गाडवा तह. मावली। **मृतक के बजाय :–**

1/1 श्री रामनारायण पिता जगनाथ सुथार निवासी गाडवा तह. मावली।
1/2 श्रीमती भंवरीबाई पिता जगनाथ पत्नी भुरी लाल सुथार हाल ओरडी तह. मावली। .....वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती प्रेमलता बेवा स्व. लक्ष्मीलाल सुथार निवासी गाडवा तह. मावली।
2. श्रीमती सीताबाई पिता गोवर्धनलाल सुथार निवासी उपली ओडन तह. नाथद्वारा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार मावली, जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 58/16 (वाद) GCMS No. : 2016/00337

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वाद वादीगण आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा गाडवा पटवार हल्का मेडता की आराजी नम्बर 116, 120, 121, 141, 144, 150, 226, 228, 229 किता 9 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि एवं आराजी नम्बर 48, 83, 117, 122, 138, 139, 140, 814/48 किता 8 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि को खातेदार स्व. लक्ष्मीलाल के बजाय वादी सं. 1/1 रामनारायण एवं परिशिष्ट च में वर्णित मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 167 से 178, 191 से 194 किता 16 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा एवं परिशिष्ट छ में वर्णित आराजी नम्बर 123 रकबा 7 बिस्वा (आ.चा.) को खातेदार स्व. लक्ष्मीलाल के बजाय प्रतिवादी सं. 2 सीताबाई को खातेदार काश्तकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.11.2020 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.21 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested